न्यूज़ टुडे

आव्रजन और विदेशी विषयक अधिनियम, 2025 लागू हो गया

यह अधिनियम केंद्र सरकार को भारत में **विदेशियों के आव्रजन (इमिग्रेशन), प्रवेश और ठहरने को विनियमित** करने की शक्ति प्रदान करता है।

- **इस अधिनियम ने निम्नलिखित चार कानूनों का स्थान लिया है:**
  - पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920,
  - विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939,
  - विदेशी विषयक अधिनियम, 1946, और
  - आव्रजन (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2000।

इस अधिनियम के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर

- **आव्रजन चौकियां:** यह केंद्र सरकार को भारत में प्रवेश करने और भारत से बाहर जाने के लिए विशेष आव्रजन चौकियों को अधिसूचित करने का अधिकार देता है।
- **आव्रजन ब्यूरो:** यह भारत में प्रवेश करने, भ्रमण करने, ठहरने और आवागमन के विनियमन तथा वीज़ा जारी करने सहित आव्रजन संबंधी कार्यों को करने के लिए आव्रजन ब्यूरो की स्थापना का प्रावधान करता है।
- **विदेशियों का पंजीकरण:** इसके तहत विदेशियों को भारत आने पर पंजीकरण अधिकारी के पास अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है।
- **रिपोर्टिंग संबंधी दायित्व: इसके तहत-**
  - एयरलाइंस आदि को अपने यात्रियों की जानकारी देनी होगी;
  - विश्वविद्यालयों/ कॉलेजों को विदेशी छात्रों की जानकारी देनी होगी;
  - अस्पतालों को विदेशी मरीजों की जानकारी देनी होगी।
- **अपराध:** इसमें वैध पासपोर्ट या यात्रा संबंधी अन्य दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करने वाले विदेशियों को पांच वर्ष तक के कारावास, पांच लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों का प्रावधान है।
- **गिरफ्तार करने की शक्ति:** यह हेड कांस्टेबल तक के पुलिस कार्मिकों को बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का अधिकार देता है।
- **विदेशियों द्वारा अधिक उपयोग होने वाले स्थानों पर नियंत्रण:** सिविल अथॉरिटी ऐसे परिसरों को बंद करने या सभी विदेशियों को ऐसे परिसर में प्रवेश पर रोक लगाने का निर्देश दे सकती हैं।

सुप्रीम कोर्ट अल्पसंख्यक संस्थानों को शिक्षा का अधिकार कानून (RTE Act) से छूट देने वाले अपने फैसले में संशोधन का विचार कर रहा है

यह मामला भारत के **मुख्य न्यायाधीश (CJI)** को भेजा गया है, ताकि यह तय किया जा सके कि 2014 के **प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट केस** में दिए गए संविधान पीठ के फैसले पर फिर से विचार किया जाए या नहीं।

- **प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट केस (2014)** के फैसले में कहा गया था कि **RTE कानून को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों (चाहे वे सरकारी सहायता प्राप्त हों या नहीं) पर लागू नहीं** किया जा सकता। ऐसा इस कारण, क्योंकि इसे लागू करने से संविधान के **अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यकों को मिले अधिकारों** का उल्लंघन होगा।
  - **अनुच्छेद 30(1) धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों** को यह अधिकार देता है कि वे अपनी **पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित** कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां

- RTE कानून को लागू करने से **अल्पसंख्यकों के उस अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ता, जो उन्हें संविधान के अनुच्छेद 30(1)** के तहत मिला है। **अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 30(1) दोनों एक साथ एवं संतुलित रूप से लागू** हो सकते हैं।
  - **अनुच्छेद 21A** 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की गारंटी देता है।
- यदि अल्पसंख्यक संस्थानों को RTE कानून से छूट दी जाती है, तो इससे समान स्कूली शिक्षा व्यवस्था का विज़न कमजोर होता है और अनुच्छेद 21A के तहत **निहित सार्वभौमिकता एवं समावेशिता का विचार प्रभावित** होता है।
  - कोर्ट ने कहा कि RTE कानून के तहत **25% आरक्षण** का अर्थ यह नहीं है कि हर धार्मिक या भाषाई समुदाय को अपने संस्थान में **दूसरे समुदाय के बच्चों को ही लेना होगा**। यह आरक्षण **अल्पसंख्यक समुदाय के वंचित बच्चों** को भी दिया जा सकता है।

बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) के बारे में

- यह अधिनियम **6 से 14 वर्ष की आयु** के सभी बच्चों के लिए **निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार** बनाता है।
- यह निजी स्कूलों को **आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने का आदेश** देता है।
- इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि संबंधित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कमजोर वर्ग या वंचित समूह से आने वाले **बच्चों को किसी भी कारण से प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से न रोका** जाए।

SCO की राष्ट्राध्यक्षों की परिषद के 25वें शिखर सम्मेलन में तियानजिन घोषणा-पत्र को अपनाया गया

इस वर्ष **शंघाई सहयोग संगठन** (SCO) शिखर सम्मेलन **चीन के तियानजिन** में आयोजित किया गया।

घोषणा-पत्र के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **क्षेत्रीय संघर्ष और परमाणु अप्रसार**
  - सम्मेलन में आतंकवाद विरोधी प्रयासों में दोहरे मानदंडों को अस्वीकार किया गया। साथ ही, आतंकवादियों की सीमा-पार आवाजाही को रोकने के लिए **वैश्विक सहयोग के महत्त्व** पर बल दिया गया।
  - **जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा** की गई। हालांकि, इसमें पाकिस्तान का कोई संदर्भ नहीं दिया गया।
  - **ईरान पर इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए सैन्य हमलों की निंदा** की गई।
- **संयुक्त राष्ट्र सुधार:** घोषणा-पत्र में संयुक्त राष्ट्र के शासी निकायों में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर उसे आधुनिक वास्तविकताओं के अनुकूल बनाने का आह्वान किया गया है।
- **सतत विकास और सामाजिक एजेंडा:**
  - **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास और उपयोग में सभी देशों के लिए समान अधिकारों** के समर्थन का उल्लेख किया गया है।
  - भारत के वैश्विक विज़न **"एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य"** को मान्यता दी गई। साथ ही, समावेशी व सतत विकास को बढ़ावा देने में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को स्वीकार किया गया।
- **SCO के प्रभाव का विस्तार करने के लिए चीन की पहलें:** SCO सदस्य अब चीन की **बेईदोउ उपग्रह प्रणाली** (GPS विकल्प) का उपयोग कर सकते हैं। चीन ने अगले तीन वर्षों में 1.4 बिलियन डॉलर का ऋण देने का वादा किया और एक **SCO विकास बैंक** बनाने का प्रस्ताव रखा है।
- **चीन ने SCO प्लस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की:** इसमें सदस्य देशों, पर्यवेक्षकों, वार्ता भागीदारों, सम्मानित अतिथियों और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों ने भाग लिया।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के बारे में

- **मुख्यालय:** बीजिंग, चीन।
- **उत्पत्ति:** 2001 में शंघाई शिखर सम्मेलन में **कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज गणराज्य, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान** द्वारा की गई थी।
- **सदस्य:** 10 सदस्य देश, 2 पर्यवेक्षक देश और 15 वार्ता भागीदार (**लाओस** नवीनतम है)।
- **आधिकारिक भाषा:** रूसी और चीनी।
- **संरचना:**
  - **राष्ट्राध्यक्षों की परिषद:** सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय।
  - **शासनाध्यक्षों की परिषद:** दूसरी सबसे उच्च परिषद।
  - **दो स्थायी निकाय: बीजिंग (चीन)** में सचिवालय और **ताशकंद** (उज़्बेकिस्तान) में **क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (RATS)**।

शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधान मंत्री का वक्तव्य

प्रधान मंत्री ने कहा कि SCO तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित है:

- **सुरक्षा (क्षेत्र की सुरक्षा),**
- **कनेक्टिविटी (SCO को 'कनेक्टिविटी' केंद्र के रूप में क्रांतिकारी बनाना) और**
- **अवसर (पारस्परिक अवसरों को बढ़ावा देना)।**

केंद्र ने वन (संरक्षण एवं संवर्धन) संशोधन नियम, 2025 अधिसूचित किए

केंद्र सरकार ने **वन (संरक्षण और संवर्धन) अधिनियम, 1980** के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए मौजूदा 2023 नियमों में संशोधन किया है।

इस संशोधन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **मंजूरी को सरल बनाना:** रक्षा, राष्ट्रीय महत्त्व और आपातकालीन परियोजनाओं के लिए **ऑफ़लाइन आवेदनों के प्रावधानों** के साथ सैद्धांतिक मंजूरी की वैधता को **2 से 5 वर्ष** तक बढ़ाया गया है।
  - **चरण-I (सैद्धांतिक) और चरण-II (अंतिम) अनुमोदन की स्पष्ट परिभाषा** प्रदान की गई है।
- **प्रतिपूरक वनीकरण संबंधी सुधार: भूमि बैंकिंग प्रणाली** शुरू की जाएगी तथा प्रतिपूरक वनीकरण संबंधी अनिवार्यताओं को पूरा करने के लिए मौजूदा **केंद्रीय योजना के तहत वनरोपण की अनुमति** दी गई है।
  - **चरण-I अनुमोदन** के बाद राज्य वन भूमि को वन विभागों को हस्तांतरित कर सकते हैं।
- **रणनीतिक संसाधन प्रबंधन:** इसमें **महत्वपूर्ण खनिजों के खनन** के लिए विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसमें **भूमि उपयोग की न्यूनतम अवधि को 20 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष** कर दिया गया है।
- **कानून को मजबूती से लागू करना:** इसके तहत **बेहतर निगरानी और रिपोर्टिंग** संबंधी अनिवार्यताओं के साथ **कानूनी कार्रवाई शुरू** करने के लिए वन अधिकारियों के अधिकार का विस्तार किया गया है।

वन (संरक्षण) अधिनियम का विकास

- **1980 से पूर्व:** वन राज्य सूची का विषय था। इसलिए कृषि, उद्योग, खनन, आदि के लिए **वन भूमि का बड़े पैमाने पर उपयोग** किया जाता था।
  - **42वें संविधान संशोधन (1976)** के द्वारा वनों को **राज्य सूची से समवर्ती सूची** में स्थानांतरित कर दिया गया।
- **वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980:** वन भूमि का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए करने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करके वनों की कटाई पर रोक लगाई गई।
- **1988 में संशोधन:** इसके तहत **वन भूमि को निजी संस्थाओं को लीज पर देना विनियमित** किया गया।
- **वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023:** इसका उद्देश्य जलवायु संबंधी लक्ष्यों के अनुरूप विकास करना तथा **विकास को पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ संतुलित** करना है।

समुद्री जैव विविधता संधि के प्रिपरेटरी कमीशन का दूसरा सत्र संपन्न हुआ

इस संधि को औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (UNCLOS) के तहत राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर समझौता (BBNJ एग्रीमेंट) के रूप में जाना जाता है।

BBNJ एग्रीमेंट के बारे में

- इसे 2023 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता पर अंतर-सरकारी सम्मेलन में अपनाया गया था।
  - यह UNCLOS का तीसरा कार्यान्वयन समझौता बन गया है। अन्य दो समझौते निम्नलिखित हैं:
    - UNCLOS के कार्यान्वयन से संबंधित 1994 का (भाग 11) समझौता तथा
    - 1995 का संयुक्त राष्ट्र फिश स्टॉक समझौता।
- उद्देश्य: राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्र (ABNJ) की समुद्री जैविक विविधता का संरक्षण और सतत उपयोग सुनिश्चित करना।
  - ABNJ को अक्सर हाई सीज भी कहा जाता है। ये समुद्री क्षेत्र सभी देशों के लिए खुले होते हैं। इनका उपयोग नेविगेशन, ओवरफ्लाइट, जल के भीतर केबल बिछाने, पाइपलाइन बिछाने, आदि के लिए किया जाता है।
- यह समझौता 'हाई सीज़' और 'एरिया' पर लागू होता है, तथा निम्नलिखित चार मुख्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है:
  - समुद्री आनुवंशिक संसाधन, जिसमें लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा शामिल है;
  - क्षेत्र-आधारित प्रबंधन उपकरण, जिसमें समुद्री संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं;
  - पर्यावरणीय प्रभाव आकलन; तथा
  - क्षमता-निर्माण और समुद्री प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण।

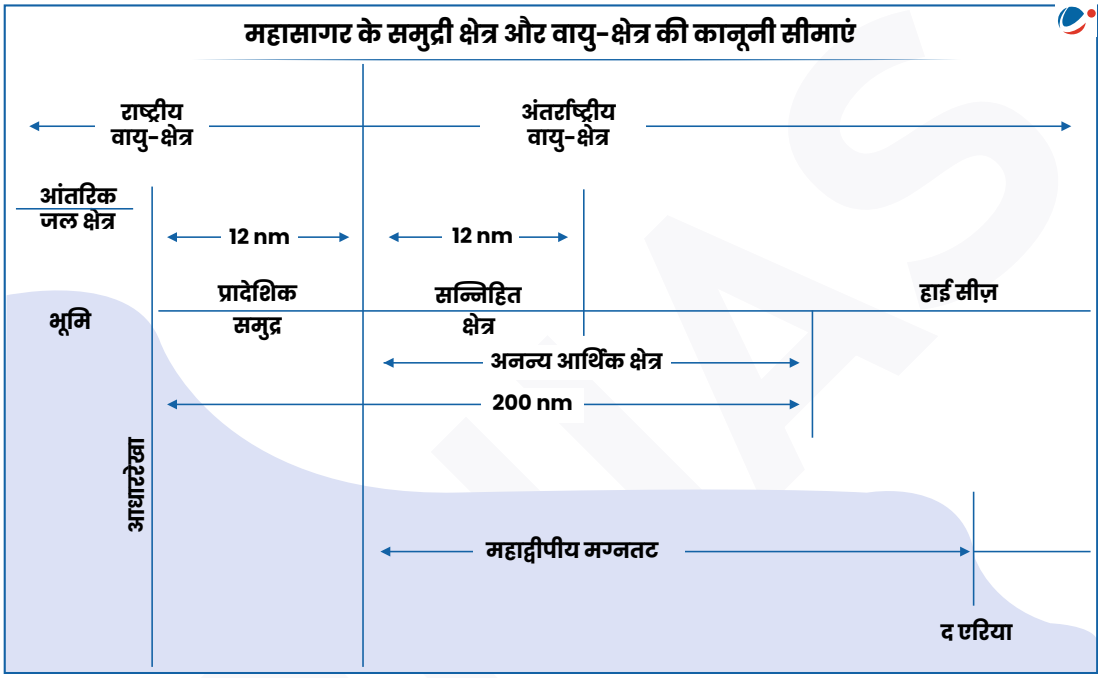

- इसमें वित्त-पोषण तंत्र की व्यवस्था की गई है और संस्थागत व्यवस्थाएं निर्धारित की गई हैं। इसमें एक कांफ्रेंस ऑफ द पार्टीज, एक समाशोधन-गृह तंत्र और एक सचिवालय शामिल है।
- भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, लेकिन अभी इसका अनुसमर्थन नहीं किया है।

सुर्ख़ियां

प्रत्यूष (PRATUSH)

रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (RRI) की एक टीम द्वारा 'प्रत्यूष' नामक डिजिटल रिसीवर सिस्टम का विकास किया जा रहा है।

- RRI, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्थान है।

प्रत्यूष के बारे में

- प्रत्यूष/PRATUSH का पूर्ण रूप है- प्रोबिंग री-आयोनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग सिग्नल फ्रॉम हाइड्रोजन।
- यह चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया जाने वाला एक 'भविष्य का रेडियोमीटर' है।
- उद्देश्य: यह पहली बार हमारे ब्रह्मांड के इतिहास को उजागर करेगा कि बिग बैंग के बाद इसमें कैसे परिवर्तन हुए।
  - यह हाइड्रोजन परमाणुओं से उत्सर्जित होने वाले कमजोर रेडियो सिग्नल का पता लगाने में मदद करेगा, जिसमें कॉस्मिक डॉन की कई घटनाओं के रहस्य छिपे हैं।

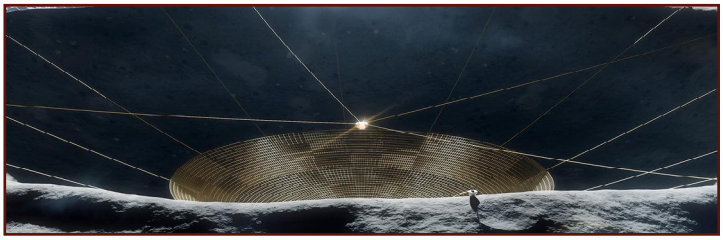

आदि वाणी

केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदि वाणी का बीटा संस्करण लॉन्च किया।

'आदि वाणी' के बारे में

- यह जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला AI-संचालित अनुवाद प्लेटफार्म है।
- इसे जनजातीय और गैर-जनजातीय समुदायों के बीच संचार की कमी की समस्या को दूर करने के लिए जनजातीय गौरव वर्ष के तहत विकसित किया गया है।
- बीटा लॉन्च चरण में यह प्लेटफ़ॉर्म संथाली (ओडिशा), भीली (मध्य प्रदेश), मुंडारी (झारखंड), और गोंडी (छत्तीसगढ़) भाषाओं के अनुवाद की सुविधा प्रदान करता है। कुई और गारो भाषाओं पर काम चल रहा है।
- इस पहल से लुप्तप्राय भाषाओं के डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलेगा; शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और शासन सुविधाएं जनजातियों की मूल भाषाओं में पहुंचाई जा सकेगी तथा जनजातीय उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, यह प्लेटफार्म शोधकर्ताओं के लिए ज्ञान संसाधन के रूप में कार्य करेगा।

जारोसाइट

शोधकर्ताओं ने **गुजरात के कच्छ जिले के 'माता नो मढ़' गांव में खोजे गए जारोसाइट को लगभग 55 मिलियन साल पुराना** बताया है।

- यह पीला रंग का, लोहा युक्त सल्फेट खनिज है। **यह 2004 में नासा के ऑपर्च्युनिटी मिशन** द्वारा मंगल ग्रह पर खोजे गए खनिज जैसा ही है।
- **पृथ्वी पर** इस खनिज का निर्माण तब होता है जब **ऑक्सीजन, लोहा, सल्फर और पोटेशियम युक्त कुछ खनिज** जल की उपस्थिति में सही मात्रा में परस्पर अभिक्रिया करते हैं।
  - जारोसाइट निर्माण **आमतौर पर ज्वालामुखी गतिविधि से भी संबंधित होता है।**
- पृथ्वी पर जारोसाइट की मौजूदगी से हमें **मंगल ग्रह पर रसायनों और खनिजों के विकास** के बारे में जानकारी मिलती है।

निवेशक दीदी

इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी (IEPFA) ने अपनी प्रमुख वित्तीय साक्षरता पहल **'निवेशक दीदी'** का दूसरा चरण शुरू किया।

- इस पहल का उद्देश्य **वित्तीय जागरूकता बढ़ाना तथा ग्रामीण समुदायों,** विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाना है।

IEPFA के बारे में

- इसकी स्थापना भारत सरकार ने **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत की है। यह केंद्रीय **कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय** के तहत कार्य करता है।
- इस संस्था का उद्देश्य **निवेशकों में शिक्षा और जागरूकता का प्रसार करना तथा उनके निवेश के संरक्षण को बढ़ावा देना** है।
- **इसके कार्यों में** IEPF का प्रशासन करना; निवेशकों को शेयरों, अनक्लेम्ड लाभांश, मैच्योर जमा/डिबेंचर्स का रिफंड करना, आदि शामिल हैं।

सेन्ना स्पेक्टाबिलिस

केरल ने वायनाड में भारत का पहला विज्ञान-आधारित और समुदाय-संचालित **सेन्ना स्पेक्टाबिलिस उन्मूलन अभियान** चलाया है।

सेन्ना स्पेक्टाबिलिस के बारे में

- यह एक **आक्रामक प्रजाति है** और घने, स्टेराइल झाड़ियों के रूप में फैलती है एवं **देशी पादप प्रजातियों को नष्ट कर देती है।** यह **मृदा की रासायनिक संरचना को बदल देती है और शाकाहारी जीवों के लिए खाद्य संकट** उत्पन्न करती है।
- यह बहुत ही **घना और विस्तृत वितान (क्राउन) वाला वृक्ष है।** यह 7 से 18 मीटर तक ऊंचा हो सकता है।
- यह **केरल के राज्य पुष्प 'कैसिया फिस्टुला'** से मिलता-जुलता है। **कैसिया फिस्टुला को** स्थानीय लोग **कनिक्कोन्ना** कहते हैं।
- **सेन्ना स्पेक्टाबिलिस** अमेरिकी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों **की स्थानिक प्रजाति** है।

सोलर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन (SEE)

हाल ही में, **सोलर ऑर्बिटर (SO)** स्पेस प्रोब ने सोलर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन (SEE) की उत्पत्ति का पता लगाया है। यह **नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना** है।

सोलर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन (SEE) के बारे में

- ये **इलेक्ट्रॉन सूर्य में उत्पन्न होते हैं,** जो लगभग **प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में उत्सर्जित** कर दिए जाते हैं।
- SEE के **दो प्रकार** हैं:
  - **इंटेंस सोलर फ्लेयर्स** (सूर्य की सतह के छोटे हिस्सों से होने वाले विस्फोट), और
  - **कोरोनल मास इजेक्शन-CMEs** (सूर्य के वायुमंडल से गर्म गैस का विशाल विस्फोट)।
- **यह अंतरिक्ष के मौसम को समझने** में मदद करता है। इससे सैटेलाइट आधारित संचार, GPS नेविगेशन सिस्टम तथा बिजली आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है।

युद्ध अभ्यास

भारतीय थल सेना की एक टुकड़ी **युद्ध अभ्यास 2025 के 21वें संस्करण** में भाग ले रही है। यह भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक **संयुक्त सैन्य अभ्यास** है।

- वर्ष 2004 से यह संयुक्त सैन्य अभ्यास **भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है।**
- इसमें संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों और बहु-क्षेत्रीय चुनौतियों के लिए तैयारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

अफगानिस्तान (राजधानी-काबुल)

अफगानिस्तान के **कुनार प्रांत** में आए शक्तिशाली भूकंप से 800 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 2,500 लोग घायल हो गए।

भौगोलिक अवस्थिति

- यह दक्षिणी एशिया में एक **स्थलबद्ध पर्वतीय देश** है।
- इसे अक्सर **"एशिया का प्रवेश द्वार"** कहा जाता है।
- **सीमावर्ती राष्ट्र:** इसके उत्तर में **तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान** और **ताजिकिस्तान;** पश्चिम में **ईरान;** दक्षिण-पूर्व में **पाकिस्तान;** और उत्तर-पूर्व में **भारत और चीन** हैं।

भौगोलिक विशेषताएं

- **प्रमुख नदियां:** अमु दरिया, हेलमंद नदी, काबुल नदी।
- **सबसे ऊँचा बिंदु:** माउंट नोशाक।
- **पर्वत श्रृंखलाएँ:** उत्तर-पूर्व में हिंदू कुश, पामीर पर्वत और दक्षिण में सफेद कोह श्रेणी।
- **जलवायु:** यहां **महाद्वीपीय जलवायु** पाई जाती है, जिसमें गर्म ग्रीष्मकाल और ठंडी सर्दियां होती हैं।